

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ 4 (2) पंरावि/प्रशा.2/स्था/है.मि./2014/ 3597 जयपुर दिनांक 26/09/19

आदेश


निम्नलिखित हैण्डपंप मिस्त्रियों/फिटर के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समिति में निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. स.	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	पद	कहां से	कहां को
1.	श्री प्रभूदयाल शर्मा	फिटर	पं.स. आमेर (जयपुर)	पं.स. झोटवाडा (जयपुर)
2.	श्री बत्तीलाल शर्मा	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. बयाना (भरतपुर)	पं.स. सैपउ (धौलपुर)
3.	श्री मोहन लाल रैगर	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. देवली (टोक)	पं.स. हिण्डोली (बूंदी)
4.	श्री हरिसिंह	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. बाडी (धौलपुर)	पं.स. हिण्डोली (बूंदी)
5.	श्री राम सिंह प्रजापत	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. बामनवास (सवाईमाधोपुर)	पं.स. बाडी (धौलपुर)
6.	श्री रामवीर सिंह	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. बाडी (धौलपुर)	पं.स. नेनवा (बूंदी)
7.	श्री शब्बीर मोहम्मद	हैण्डपंप मिस्त्री	पं.स. सायरा (उदयपुर)	पं.स. मावली (उदयपुर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. कार्मिक स्वीकृत पदों से अधिक अधिशेष नहीं हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जावे।
2. कार्मिक के द्वारा माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थानान्तरण पर स्थगन प्राप्त किया हुआ है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
4. यदि कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना हेतु रिक्त पद नहीं होने पर पास्परिक अथवा अधिकतम अवधि से पदस्थापित कर्मचारी को निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित करने के आदेश जारी करें।
5. कार्मिकों के संस्थापन संबंधी रिकार्ड से मिलान कर ही स्थानान्तरण आदेश जारी करें।


(मोहम्मद अबूबक्र)
उप शासन सचिव एवं
उपायुक्त जांच

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर/भरतपुर/धौलपुर / टोंक/बून्दी/धौलपुर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित हैण्डपंप मिस्त्रियों/फिटर के रिक्त पद के विरुद्ध अग्रिम पदस्थापन आदेश संबंधित विकास अधिकारियों से अविलंब प्राप्त कर संबंधित को कार्यमुक्त करावें।
5. संबंधित हैण्डपंप मिस्त्री/फिटर।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव एवं
उपायुक्त जांच